



में एक अन्तिम प्रवृत्ति
पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रतिबिंदी दिनांक 8.10.25

को पेश हो।



8.10.25
पत्रावली पेश हुई। वकूलाय पक्षकार उपास्थित नहीं हुई।
प्रकरण लंबे समय से लाक्ष्य प्रतिबिंदी हेतु स्थित हो न्यायालय
द्वारा पक्षकारान को आवेजें लगवाई गईं, बावजूद इसके भी
न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपास्थित नहीं हुआ।
पक्षकारान दिनांक 3.9.24, 3.3.25, 14.5.25, 10.6.25, 23.9.25
व 29.9.25 को भी उपास्थित नहीं हुए हैं जिले जाद्विरे हैं
कि वादी - प्रतिबिंदी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं तथा
वाद चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वाद आदेश व नियम 3 CPC के तहत
अदम दायरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
निर्णय करे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फेलतुम्हार
होकर नम्बर से खम हो।



(अबुला दाई हुण)

IAS